



HAMIRPUR POLICE



थाना कुरारा/मौदहा

दिनांक 14.09.2022

05 अभियुक्तों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई:-

पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा थाना कुरारा/मौदहा के 05 गुण्डा अपराधियों को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निम्न अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी दे।

जिला बदर किए गए अपराधियों का विवरण:-

- 1) रामबली पुत्र राम औतार निवासी ग्राम बिलौटा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दिनांक 26.08.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 2) श्रीकांत पुत्र सतीदीन निवासी ग्राम उरदना थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दिनांक 26.08.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 3) अमर सिंह पुत्र बंदी उर्फ रामकरण निवासी ग्राम उरदना थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दिनांक 26.08.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 4) फूल सिंह पुत्र बंदी उर्फ रामकरण निवासी ग्राम उरदना थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दिनांक 26.08.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।
- 5) कल्लू उर्फ शिव सिंह पुत्र भोला निवासी ग्राम उरदना थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दिनांक 26.08.2022 से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है।